

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14(OFC)2020/एफसीए/प्रमुवसं/

1804

दिनांक 16.7.21

शासन सचिव

वन विभाग,

राजस्थान, जयपुर।

विषय:—Diversion of 0.4707 ha. forest land in favour of BHARAT BROADBAND NETWORK LIMITED for Laying of Optical Fibre Cable along the Phalodi - Pokhran road (NH-11) from Phalodi BSNL Telephone Exchange to Beethadi Gram Panchayat under NOFN Project (Chainage- 0.00 to 14.040 km.), Tehsil - Phal District- JODHPUR RaJ.(प्रस्तावसं. FP/RJ/OFC/47432/2020)

संदर्भ:—आपका पत्रांक प1(46)वन/2021 दिनांक 25.6.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में चाही गई सूचना मुख्य वन संरक्षक जोधपुर के पत्रांक 3451 दिनांक 12.7.2021 (प्रति संलग्न) कर निवेदन है कि उप वन संरक्षक एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि प्रस्तावित क्षेत्र में आ रहे 60 पेड़ों का पातन नहीं किया जाना है। इस बाबत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता संलग्न की है, जो संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा प्रमाणित की गई है।

अतः पत्र अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:— उक्तानुसार।

भवदीय,
(एस. के. दुबे)

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14(OFC)2020/एफसीए/प्रमुवसं/

दिनांक

प्रतिलिपि:—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:—

1. मुख्य वन संरक्षक जोधपुर को उनके पत्रांक 3451 दिनांक 12.7.2021 के क्रम में अतिरिक्त सैट प्रेषित है।
2. उप वन संरक्षक, जोधपुर।
3. मैनेजर, एसडीई (एनओएफएन) बीएसएनएल, जोधपुर।

(भवानी सिंह)

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर